"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 533] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2021 — आश्विन 20, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–6/2015/38–2 (पार्ट–1).— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 756/एस.एण्ड ओ./2014/16195, दिनांक 03–09–2021 द्वारा एमिटी विश्वविद्यालय, ग्राम–मांठ, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 36 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूवनेश यादव, विशेष सचिव.

एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
अध्यादेश क्र. ३६
कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.)

१. प्रयोज्यता

(१) कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष की कालावधि का होगा तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.) के रूप में नामित किया जायेगा ।

(२) बी.सी.ए की डिग्री पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रदान की जायेगी।

(३) उक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित ग्रेड एवं क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

२. प्रवेश हेतु पात्रता

(१) अभ्यर्थी को इस संबध में प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के साथ मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से १०+२ की परीक्षा मूल विषय गणित के साथ या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(२) अभ्यर्थी के १०+२ की परीक्षा में गणित मूल विषय नहीं होने की परिस्थिति में, उसे गणित की परीक्षा एक अतिरिक्त विषय के रूप में छह सेमेस्टरों के पाठ्यक्रम में तीन प्रयासों में उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा वह अभ्यर्थी बी सी ए के डिग्री के लिए पात्र नहीं होगा।

(३) इसके अतिरिक्त, जो अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा में उपस्थित हुए तथा परिणाम के लिए प्रतीक्षारत है भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। किन्तु , उनके प्रवेश की पुष्टि परिणाम की घोषणा एवं पात्रता मानदंड को पूरा करने के पश्चात् ही की जाएगी।

(४) इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय, प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर यूजीसी / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

(५) बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रत्येक सेमेस्टर की प्रारम्भ में अथवा अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित पहले वर्ष के स्तर पर दिया जाएगा। प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा तय की जाएगी। यूजीसी और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

(६) प्रवेश के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-साथ सीटों की संख्या, पात्रता मानदंड, फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आदि दिखाई जाएगी।

((७) अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.) और विदेशी नागरिक भी बीसीए पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, बशर्ते वे इस संबंध में प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हों। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

(८) विश्वविद्यालय अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानान्तरण पर किसी विद्यार्थी को बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकता है। इस प्रकार के प्रवेश, कार्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन किसी भी स्तर पर किए जा सकते हैं। बशर्ते, इस योजना के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के दौरान प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह विनियामक निकाय/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।

(९) विश्वविद्यालय, किसी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुर्व्यवहार के आधार पर करियर के किसी भी स्तर पर उसका/उसकी अध्ययन को समाप्त जारी न रखने को कह सकता है।

(१०) अध्यादेश और प्रवेश नीति, पात्रता और चयन प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर वर्णित है, की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है, जो अकादमिक परिषद के अनुमोदन के अधीन है।

(११) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/नि:शक्त श्रेणियों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।

3. प्रवेश प्रक्रिया

जैसा कि अध्यादेश -१ में निर्दिष्ट है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रावीण्यता के आधार पर/ आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

प्रवेश के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश छत्तीसगढ़ का पालन किया जाएगा।

४. सीटें

एमिटी विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियामक निकायों से उचित अनुमति के साथ सीटों का निर्धारण किया जाएगा।

५. पाठ्यक्रम की अवधि

(१) पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष होगी जो छह समान सेमेस्टरों में विभाजित होगी ।

(२) विश्वविद्यालय इच्छुक अभ्यर्थियों को छठे सेमेस्टर की परीक्षा के अंत में कैपस्टोन सेमेस्टर का प्रस्ताव दे सकता है। यह आठ सप्ताह तक की अवधि का होगा। इस सेमेस्टर के लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा, जैसा कि प्रबंध मंडल द्वारा तय किया जायेगा ।

(३) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में अकादमिक परिषद द्वारा सेमेस्टर ब्रेक सहित शैक्षणिक कैलेंडर घोषित किया जाएगा।

(४) बीसीए पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किसी विद्यार्थी के पास उपलब्ध अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में निकासी , अनुपस्थिति एवं किसी विद्यार्थी के लिए अनुमत विभिन्न प्रकार के अवकाश की अवधि सम्मिलित होंगे, किन्तु इसमें निष्कासन की अवधि, यदि कोई हो, को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(५) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारम्भ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित अवधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

६. शैक्षणिक वर्ष

शैक्षणिक सत्र अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित होगा तथा सामन्यतः जुलाई से जून तक प्रत्येक वर्ष होगा । दो शैक्षणिक चक्र होंगे , एक जुलाई से दिसंबर तथा दूसरा जनवरी से जून तक ।

७. पाठ्यक्रम संरचना

पाठ्यक्रम संरचना, परीक्षाएं तथा पाठ्यक्रम, एमिटी विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद् द्वारा निर्धारित की जावेगी ।

८. पाठ्यक्रम शुल्क

पाठ्यक्रम शुल्क एमिटी विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित की जाएगी ।

९. परीक्षाएं

(१) विश्वविद्यालय, अध्ययन के कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्याङ्कन करने के लिए सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान आंतरिक मूल्यांकन से युक्त सतत मूल्यांकन की प्रणाली को अपनाएगा।

(२) अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के साथ-साथ पाठ्यक्रम के सभी घटकों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के लिए विस्तृत परीक्षा योजना अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(३) कोई भी विद्यार्थी निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से स्कूल / संकाय के डीन / निदेशक द्वारा अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता हैरू

(अ) विद्यार्थी के विरुद्ध की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही।

(ब) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर, यदि

(प) सेमेस्टर में व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति ७५: से कम हो अथवा सेमेस्टर में अकादमिक परिषद द्वारा यथा निर्धारित की जाये।

(पप) सेमेस्टर के दौरान आंतरिक मूल्यांकन में प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया हो।

(४) विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सम्पूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों को भी सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने में सक्षम बनाएगी जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए हैं या चूक कर गये हैं।

(५) विद्यालय/संकाय के डीन/निदेशक की सिफारिश पर कुलपति के अनुमोदन से शिक्षक आंतरिक मूल्यांकन में चूक गये या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए मेकअप परीक्षा आयोजित कर सकते हैं।

(६) यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर परीक्षा में पूर्णरूपेण उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे डिवीजन / अंक / ग्रेड में सुधार के हेतु या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी तथा इसे लिखित रूप में दर्ज किया जायेगा।

(७) उपरोक्तानुसार अध्यादेश एवं परीक्षा प्रक्रिया में समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है, जो अकादमिक परिषद के अनुमोदन के अधीन है।

(८) अकादमिक परिषद् की अनुशंसा पर अध्यादेश में आवश्यक संशोधन कर परीक्षाओं की प्रणाली/स्वरुप में परिवर्तन किया जा सकता है। यद्यपि, यह नियामक निकाय के निर्देशों के अनुरूप होगा, यदि कोई हो।

१०. प्रदर्शन का मूल्यांकन (निर्धारण)

(१) अंकों के आधार पर

(अ) प्रत्येक सेमेस्टर में किसी अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन समाविष्ट सतत् मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन करते हुए पृथक तौर पर पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक के लिये किया जायेगा। पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक में अधिकतम अंक, विद्या परिषद द्वारा घोषित मूल्यांकन योजना के अनुसार होगा।

(ब) सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण क्रेडिट, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार होंगे ।

(२) केडिट के आधार पर

(अ) संपर्क व्याख्यान (L) का एक घंटा, एक केडिट के समतुल्य होगा, यथा संपर्क ट्यूटोरियल (T) तथा/या प्रायोगिक (P) के दो घंटे, एक केडिट के समतुल्य होगा। इसी प्रकार केडिट={L+(T+P)/2À} होगा। किसी विषय में केडिट संपूर्ण अंक होगा, न कि भिन्नात्मक अंक होगा। यदि विषय में केडिट भिन्नात्मक हो जाता है तो निकटतम संपूर्ण अंक में पूर्णांकित किया जायेगा।

(ब) कोई अभ्यर्थी, सेमेस्टर में आबंटित केडिट को तब ही अर्जित करेगा, जब वह उक्त सेमेस्टर को उत्तीर्ण करता है।

(सं) कोई अभ्यर्थी, बी.सी.ए डिग्री के अवार्ड हेतु तब ही पात्र होगा, जब वह पाठ्यक्रम जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में आबंटित समस्त केडिट को अर्जित करता है।

११. उपस्थिति

विद्यार्थी की शत-प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित है। विद्यार्थियों के नियंत्रण से परे, बीमारी हेतु देखरेख या अन्य वैध कारणों हेतु अधिकतम २५: की छूट दी जा सकती है, जिसके लिए विभागाध्यक्ष की लिखित अनुमति आवश्यक है। किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थियों के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में अलग-अलग आयोजित व्याख्यान और प्रायोगिक कक्षाओं में से कम से कम ७५ प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है, बशर्ते कि उपस्थिति में ५: तक की कमी को कुलपति द्वारा माफ किया जा सकेगा।

१२. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति

किसी विद्यार्थी को किसी कार्यक्रम के अगले शैक्षणिक वर्ष / सेमेस्टर के लिए पदोन्नत किया जाएगा, यदि उसने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा तय किए गए अनुसार पिछले सेमेस्टर और वर्ष में क्रमशः आवश्यक न्यूनतम एसजीपीए और सीजीपीए प्राप्त किया है।

१३. केडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

१३. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

(१) प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ-साथ क्रेडिट के अंतर्गत इसका अधिभार, संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीज (बीओएस) द्वारा अनुशंसित होगा तथा अकादमिक परिषद और शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान केवल अनुमोदित पाठ्यक्रमों को ही अनुमोदित किया जा सकेगा।

(२) पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को एक पत्र ग्रेड से सम्मानित किया जाएगा। विद्यार्थी को दिया गया पत्र ग्रेड अंतिम सेमेस्टर परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन में उसके संचयी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

(३) उपयोग किए जाने वाले पत्र ग्रेड तथा उनके संख्यात्मक समतुल्यता (जिन्हें ग्रेड पॉइंट कहा जाता है) इस संबंध में अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार होंगे एवं समय-समय पर संशोधन के अधीन होंगे।

(४) लेटर ग्रेड प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक और पाठ्यक्रम के प्रत्येक मॉड्यूल (घटक) के लिए अलग से दिए जाएंगे।

(५) किसी सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (एसजीपीए) एक सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिंदु का भारित औसत है तथा उस सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन को दर्शाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एसजीपीए की गणना अकादमिक परिषद द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार की जाएगी।

(६) क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए) किसी विद्यार्थी द्वारा डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के बाद से लिए गए सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिंदुओं का भारित औसत है तथा किसी विद्यार्थी के संचयी प्रदर्शन को दर्शाता है।

(७) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, एसजीपीए एवं सीजीपीए की गणना दशमलव के दो स्थानों तक बिना पूर्णांकन के की जाएगी।

(८) किसी विशेष विषय को उत्तीर्ण करने हेतु आवश्यक, न्यूनतम आवश्यक ग्रेड और ग्रेड पॉइंट अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित किये गए विनियमों के अनुसार होंगे।

(९) एक विद्यार्थी किसी विशेष विषय के लिये आवंटित समस्त क्रेडिट अर्जित करेगा यदि वह उस विषय को उत्तीर्ण करता है।

(१०) डिग्री से सम्मानित होने हेतु एक विद्यार्थी को इस संबंध में अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार न्यूनतम सीजीपीए प्राप्त करना आवश्यक है।

(११) पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में, अंतिम परीक्षा ग्रेड पत्रक पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए को दर्शाएगी। इस संबंध में अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार सीजीपीए को समतुल्य प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

१४. प्रतिलेख

पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में विद्यार्थी द्वारा सेमेस्टरवार लिये गये समस्त पाठ्यक्रमों का समेकित अभिलेख, प्राप्त ग्रेड, प्रत्येक सेमेस्टर का एसजीपीए एवं अंतिम सीजीपीए सम्मिलित होंगे।

१५. उपरोक्त के पश्चात् भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बीसीए डिग्री के लिए अध्ययन कार्यक्रम प्रासंगिक नियमों और मानदंडों और अन्य उपयुक्त विनियम एवं विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

१६. सामान्य

किसी विवाद की स्थिति में मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र में होगा।

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2021

क्रमांक एफ 3–6/2015/38–2 (पार्ट–1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11–10–2021 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूवनेश यादव, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 11th October 2021

NOTIFICATION

No. F 3-6/2015/38-2 (Part-1).— Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 756/S&O/2014/16195, Dated 03-09-2021 has approved the New Ordinance No. 36 of Amity University, Village-Manth, Tahsil-Tilda, District-Raipur, Chhattisgarh Under Section 29 (2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2/ The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinance in Official Gazette.

3/ The above Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Special Secretary.

AMITY UNIVERSITY, CHHATTISGARH
RAIPUR

ORDINANCE NO. 36

BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA)

1. APPLICABILITY

(1) The Under Graduate Degree Course in Computer Application shall be of three year duration, and shall be designated as Bachelor of Computer Application (BCA).

(2) The degree of BCA shall be awarded after successful completion of the Course.

(3) The evaluation shall be on the basis of Grades and Credits earned by the student in the said course.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS

(1) Candidate must have Passed 10+2 Examination with mathematics as a core subject, from any recognized board of Secondary Education or an equivalent thereto with minimum pass-marks as prescribed by the Board of Management in this regard.

(2) A candidate not having mathematics as a core subject in 10+2 examination, will have to pass one additional paper in mathematics in the course of six semesters in three attempts, failing which the candidate will not be eligible to get the degree of BCA.

(3) Further, candidates who appeared in the qualifying examination and whose results are awaited may also apply for provisional admission. But, their admission shall be confirmed only after the declaration of the result and fulfilment of eligibility criteria.

(4) In addition, the University shall follow all the guidelines as laid down by the UGC/State Government regarding admissions from time to time.

(5) Admission to BCA Course shall be offered at the beginning of each semester or as prescribed by the academic council, at the first year level. The Admission policy shall be decided by the Governing Body of the University. The guidelines issued by the UGC and the State Government shall be adhered to.

(6) Advertisement shall be published for admission and also displayed in the university website showing inter alia the number of seats, eligibility criteria, last date of submission of forms etc.

(7) Non-Resident Indians (NRI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign National shall also be eligible for admission to first semester of BCA Course, provided they fulfill the eligibility criteria as prescribed by the Board of Management in this regard. Admission to such candidates shall be made on the basis of the entrance test conducted by the Amity University.

(8) The University may admit a student to BCA Course on transfer from other Institutes/ Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of academic requirements of the University in respect of the program. Provided, no student shall be admitted during the first year, under this scheme. The same shall be subjected to the guidelines issued by the Regulatory Body/State Government.

(9) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.

(10) The Ordinance and the Admission Policy, Eligibility & Selection Procedure, as above, may be reviewed and amended from time to time subject to the approval of the Academic Council.

(11) Reservation for ST/SC/OBC/PWD categories and women candidates shall be applicable as per the norms and guidelines issued by Department of Higher Education of the State Government from time to time.

3. ADMISSION PROCESS

As specified in Ordinance–1, admission shall be granted on the basis of merit / entrance examinations conducted by the University.

Guidelines issued for admissions by the Govt. of Chhattisgarh shall be followed.

4. SEATS

The seats shall be decided by the Board of Management of the Amity University with due permission from the regulatory bodies.

5. DURATION OF THE COURSE

(1) The duration of the course shall be three years divided into six equal semesters.

(2) The University may offer Capstone Semester at the end of sixth semester examination to interested candidates. This shall be of up to eight weeks duration. Separate fee shall be charged for this Semester, as decided by the Board of Management.

(3) The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Academic Council at the beginning of each academic session.

(4) The maximum duration available to a student for completion of BCA Course shall be five years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of Rustication, if any.

(5) At the beginning of each semester, every student shall have to register himself / herself within the duration prescribed in the academic calendar.

6. ACADEMIC YEAR

Academic Session shall be as approved by the Academic Council and may normally be from July to June every year. There shall be two academic cycles, one from July to December and another from January to June.

7. STRUCTURE OF THE PROGRAMME

The structure of the programme, examinations, curriculum and syllabi, shall be as prescribed by the Academic Council in this regard.

8. PROGRAMME FEE

The programme fee shall be decided by the Board of Management of Amity University after obtaining due approval from Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission.

9. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Internal Assessment during the semester and End Semester Examination for assessing the students' performance during the programme of study.

(2) The detailed examination scheme for End Semester Examination as well as Internal Assessment for all components of the curriculum shall be laid down by the Academic Council.

(3) A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean/Director of the School / Faculty due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned Head of the department, if

(i) The attendance in the Lecture / Tutorial / Practical classes is below 75% or as may be determined by the Academic Council, in the semester.

(ii) The performance in the Internal Assessment during the Semester has been found unsatisfactory.

(4) The University shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

(5) The teachers may conduct the makeup examination for the students who have missed or failed in the Internal Assessment, with the approval of the Vice –Chancellor upon recommendation of Dean/ Director of the School/Faculty.

(6) If a student has passed a semester examination in full he / she shall be permitted to reappear in that examination for improvement in division / marks / grades or for any other purpose, to be recorded in writing.

(7) The Ordinance and the Examination Procedure, as above, may be reviewed and amended from time to time subject to the approval of the Academic Council.

(8) On the recommendations of the Academic Council, the system / pattern of examinations may be changed, after making necessary amendments in the ordinance. However, the same shall be in consonance with directives of the Regulating body, if any.

10. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(1) BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of End Semester Examinations and Internal Assessment. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) The minimum qualifying credit for the End Semester Examination and the Internal Assessment shall be as prescribed by the Academic Council for each course.

(2) BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact lecture (L) shall be equal to one credit whereas two hours of contact tutorial (T) and / or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = {L + (T+P)/2}. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction then it shall be-rounded up to nearest whole number.

(b) A student shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A student shall be eligible for the award of degree of BCA, only when he / she earns all the credits allotted to the course in which he / she has taken admission.

11. ATTENDANCE

Students are expected to have 100% attendance. Relaxation of maximum 25% may be allowed to cater for sickness or other valid reasons beyond the control of the students for which written permission of HoD is necessary. Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the lectures and practical classes held

separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% can be condoned by the Vice Chancellor.

12. PROMOTION TO HIGHER SEMESTERS:

A student shall be promoted for the next academic year/ semester of a programme, if he/she has obtained the required minimum SGPA and CGPA in previous semesters & year respectively as decided by the academic council of the university.

13. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the concerned Board of Studies (BoS) and shall be approved by the Academic Council and the Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Every student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his cumulative performance in the End Semester Examination and Internal Assessment.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents (called the Grade Points) shall be as per the regulations framed by the Academic council in this regard and the same shall be subjected to amendment from time to time.

(4) The letter grades shall be awarded for each subject, theoretical or practical and for each module (component) of the curriculum separately.

(5) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in a semester and reflects the performance of a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per the regulations framed by the Academic Council.

(6) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his/her admission to the degree programme and reflects the cumulative performance of a student.

(7) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two places of decimal without rounding off.

(8) The minimum required grade and grade point required to clear/pass a particular subject shall be in accordance with the regulations framed by the Academic Council.

(9) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject if he / she clears (pass) that subject.

(10) For the award of degree a student is required to secure minimum CGPA as per the regulations framed by the Academic Council in this regard.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council in this regard.

14. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the courses taken semester wise by the student, grades obtained, SGPA of each semester and the final CGPA.

15. Notwithstanding the above, the University shall ensure that the study programme leading to BCA degree shall conform, to the standard set by the relevant regulations and norms of the UGC and other appropriate Regulating bodies.

16. GENERAL

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.